



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 825]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1124(अ).**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -  
(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित-भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "गुजरात" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्गुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"गुजरात"		
	सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
	सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
	सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
	राज्य कर आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
	प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

महानिदेशक, एसपीआईपीए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
ग्रामीण विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उद्योग आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
बंदोबस्त आयुक्त और भूमि अभिलेख निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
भूमि सुधार आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
कुटीर और ग्रामीण उद्योग आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उच्च शिक्षा आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मत्स्यपालन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महिला एवं बाल विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
भूविज्ञान और खनन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्य कर विशेष आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
स्कूल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सूचना आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राहत आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
जनजातीय विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
तकनीकी शिक्षा आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राजस्व निरीक्षण आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, युवा, खेल और युवा सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
नगर आयुक्त, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14”.

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में गुजरात के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

<b>गुजरात</b>	
	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव
	समाहर्ता
	जिला विकास अधिकारी

	नगर पालिका प्रशासन आयुक्त
	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
	उप महानिदेशक, एसपीआईपीए
	रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक
	नागरिक आपूर्ति निदेशक
	अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक
	अपर आयुक्त, उद्योग
	विकास, अपर आयुक्त
	अपर आयुक्त, राज्य कर
	अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास
	स्टैम्प अधीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक
	मध्याह्न भोजन आयुक्त
	निदेशक, आईसीडीएस
	अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास (मनरेगा)
	क्षेत्रीय/उप नगर आयुक्त”.

[फा. सं. 11031/02/2018- अ.भा.से.-II(ख)]

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्रम सं.	जी.एस.आर.	दिनांक
1.	1062(अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018
9.	819(अ)	28.08.2018

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2018

**G.S.R. 1124(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Gujarat** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—  
(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Gujarat” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

<b>“GUJARAT</b>	
Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of State Tax	Level 15 in the pay matrix
Principal Resident Commissioner, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority	Level 15 in the pay matrix
Director-General of SPIPA	Level 15 in the pay matrix
Chief Electoral Officer, Gujarat State	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of Rural Development	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Industries Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Settlement Commissioner & Director of Land Records	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Land Reforms	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Cottage and Rural Industries	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Transport	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Higher Education	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Fisheries	Level 14 in the pay matrix

Commissioner of Women & Child Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Geology & Mining	Level 14 in the pay matrix
Principal Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Special Commissioner of State Tax	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Schools	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Labour	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Information	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Relief	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Tribal Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Technical Education	Level 14 in the pay matrix
Revenue Inspection Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Youth, Sports and Youth Services	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Municipal Commissioner, Surat, Ahmedabad, Vadodara	Level 14 in the pay matrix”.

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Gujarat the following shall be substituted,—

<b>“GUJARAT</b>
Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.
Collector
District Development Officer
Commissioner of Municipalities Administration
Registrar of Co-operative Societies
Deputy Director General, SPIPA
Director of Employment & Training
Director of Civil Supplies
Director of Scheduled Castes Welfare
Additional Commissioner of Industries
Additional Development Commissioner
Additional Commissioner of State Tax
Additional Rural Development Commissioner
Superintendent of Stamps & Inspector General of Registration
Commissioner of Mid-day Meals
Director, ICDS
Additional Rural Development Commissioner (MNREGA)
Regional/Deputy Municipal Commissioners”.

[F. No. 11031/02/2018-AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062(E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018